रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032026-271056
CG-DL-E-18032026-271056

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1330] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 18, 2026/फाल्गुन 27, 1947
No. 1330] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 18, 2026/PHALGUNA 27, 1947

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026

का.आ. 1395(अ).—चूँकि आधार संख्याक के प्रयोग से पहचान स्थापित करना व्यक्तियों को प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना, मात्स्यिकी एवं जलकृषि अवसंरचना विकास निधि, प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना, अथवा मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार की किसी भी स्कीम, कार्यक्रम या सेवाओं के अधीन सहायिकी, लाभ एवं सेवाएं सुविधाजनक और निर्बाध नीति से प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाते हैं जो पहचान स्थापित करने के लिए विभिन्न दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और पारदर्शिता एवं दक्षता को बढ़ावा देता है;

और चूँकि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के साथ परामर्श करने के पश्चात, तारीख 23 सितंबर, 2025 के अपने पत्र संख्या 22(5)/2025-साइबर विधि के अधीन मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 'मंत्रालय' कहा गया है) को सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 'नियम' कहा गया है) के नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन निर्धारित उद्देश्यों के अंतर्गत यह अनुमति दी थी कि उक्त मंत्रालय को अधिप्रमाणन करने की अनुमति दी जा सकती है और आधार संख्याक धारक की पहचान स्थापित करने के लिए अधिप्रमाणन के दौरान आधार संख्याक के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है और इसे उक्त नियम के

नियम 5 के साथ पठित आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के तहत अधिसूचित किया जा सकता है;

और उक्त नियम के नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन चिह्नित किए गए अनुसार मछुआरों की पहचान (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त प्रयोजन' कहा गया है) के लिए आधार अधिप्रमाणन किया जाएगा और उक्त प्रयोजन के लिए आधार अधिप्रमाणन का निष्पादन स्वैच्छिक आधार पर होगा और उक्त मंत्रालय केवल उक्त प्रयोजन के लिए ही आधार अधिप्रमाणन करेगा।

अत:, अब अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पठित उक्त नियम के नियम 5 के अनुसरण में, उक्त मंत्रालय निम्नलिखित को अधिसूचित करता है, अर्थात्: -

1. (1) अधिनियम में उपबंधित किए गए अनुसार, इसमें प्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए मंत्रालय आधार संख्याक धारक की सहमति प्राप्त करेगा।

(2) उक्त नियम के नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसार, आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक आधार पर है, मंत्रालय आधार संख्याक धारक को पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों के बारे में सूचित करेगा और आधार प्रमाणीकरण को मना करने या करने में असमर्थ होने के कारण आधार संख्याक धारक को किसी भी सेवा से इनकार नहीं करेगा, अर्थात्: -

(क) भारत सरकार द्वारा जारी मछुआरा पहचान कार्ड;

(ख) स्थायी खाता संख्या कार्ड;

(ग) पासपोर्ट;

(घ) फोटोयुक्त बैंक पासबुक;

(ङ) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; और

(च) राशन कार्ड

(छ) मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं : j-2703435/9/2024-Fy]

सुश्री नीतू कुमारी प्रसाद, संयुक्त सचिव (समुद्री मात्स्यिकी)

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, 'मछुआरे' में 'मत्स्य किसान, मत्स्य-श्रमिक, मछली पकड़ने वाले जलयान के स्वामी, मत्स्य उद्यमी, या भारत का कोई भी ऐसा नागरिक शामिल है जो मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित या प्रदान की जाने वाली स्कीम और सेवा अथवा सेवाओं का लाभ प्राप्त करने का इच्छुक है ।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2026

S.O. 1395(E).—Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund, Pradhan Mantri Matsya Kisan Samridhi Sah-Yojana, or any scheme, programs or services of Department of Fisheries, Government of India in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency;

And whereas the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, after consultation with the Unique Identification Authority of India (UIDAI), had allowed *vide* its letter No. 22(5)/2025-Cyber Laws, dated 23rd September, 2025 to the Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (hereinafter referred to as the said Ministry) for the purposes prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the said rules) that the said Ministry may be allowed to perform authentication and be permitted the use of Aadhaar number during authentication for establishing identity of Aadhaar number holder and notify the same under rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the Act);

And whereas, the Aadhaar authentication shall be performed for identification of fishers (hereinafter referred to as the said purpose) as prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the said rules and the performance of Aadhaar authentication for the said purpose shall be on voluntary basis and that the said Ministry shall perform the Aadhaar authentication only for the said purpose.

Now, therefore, in pursuance of rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Act, the said Ministry hereby notifies the following, namely: —

(1) The Ministry, as provided in the Act, shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein.

(2) As per sub-rule (2) of rule 3 of the said rules, Aadhaar authentication is on voluntary basis the Ministry shall inform to the Aadhaar number holder of alternate and viable means of identification and shall not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to, undergo Aadhaar authentication, namely: —

(a) Fishers ID Card issued by Government of India;

(b) Permanent Account Number Card;

(c) Passport;

(d) Bank Passbook with photo;

(e) Driving License issued by Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); and

(f) Ration card

(g) Any other document as specified by the Ministry

2. This notification shall come into effect from the date of its publication in the official Gazette.

[F. No. j-2703435/9/2024-Fy]

Ms. NEETU KUMARI PRASAD, Jt. Secy. (Marine Fisheries)

Explanation: For the purpose of this notification, 'Fishers' includes 'fish farmers, fish-workers, fishing vessels owners, fish entrepreneurs, or any citizen of India intended to obtain benefit from the scheme and service or services implemented or provided/facilitated by the Ministry.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.01.18 23:29:42 +05'30'